BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1190 of 2024

Ajayveer Vs. State of U.P. and Ors.

I N D E X

S.No.	Particulars	Pages
1.	Compliance report on behalf of the District Magistrate, Baghpat	

Filed by

[MUKESH VERMA]
Advocate for the DM Baghpat
Ch. No. 50, Old Block
Supreme Court of India,
New Delhi 110 001
(M) 9810108098
E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi
Dated: 21.02.2025

Original Application No. 1190/2024
Ajayveer v/s State of U.P. & Ors
In compliance to Hon'ble NGT order dated 10.12.2024

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–1190/2024 अजयवीर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये है:––

1. In this original application, the Applicant raises the grievance that the District Survey Report (DSR) for District Baghpat was prepared on 18.11.2017 valid for five years which expired on the expiry of the five years. Thereafter, there was a gap and no fresh DSR was prepared but the impugned auction notice was issued and action was taken in pursuance to the said auction notice though there was no valid DSR.
2. The State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttar Pradesh filed the counter affidavit on 28.11.2024 disclosing that the fresh DSR for District Baghpat was prepared and approved by SEIAA on 21.08.2024. Hence, after the expiry of the earlier DSR prepared in 2017, no DSR existed for District Baghpat till the fresh DSR was 2 prepared on 21.08.2024. Hence, the auction notice, the lease and the subsequent action in the absence of the very DSR cannot be allowed to be continued.
3. Learned Counsel for Respondent No. 6 has sought four weeks' time to file the reply.
4. In the aforesaid circumstances, we direct stay of any further action in pursuance to the impugned auction notice till the next date of hearing.
5. The District Magistrate, Baghpat will take appropriate action to ensure compliance of this order.
6. List on 24.02.2025.

मा0 हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2024 के अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या 904 व 905 दिनांक 12.12.2024 के तहत साधारण बालू खनन क्षेत्र छपरौली खादर एवं कोताना खादर को अग्रिम सुनवाई तक स्थगित करने के आदेश दिये गये है।

अतः मा0 हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आख्या कार्यालय स्तर से निर्गत पत्र संख्या 904 व 905 दिनांक 12.12.2024 की प्रति सहित सादर प्रेषित है।

20/1/25

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी(खनिज)
बागपत।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

पत्रांकः 904 /खनन अनु0–बागपत/2024 दिनांकः 12 दिसम्बर, 2024

मै0 रॉयल कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
देवीपुरा 2, बुलन्दशहर,
प्रो0 दयाचन्द बरगौती पुत्र श्री हरस्वरूप
निवासी म0नं0–5, नई ब्रेक पॉइंट,
भूर चौराहा के पास यमुनापुरम, बुलन्शहर।

आपके पक्ष में जनपद–बागपत की तहसील, बडौत के ग्राम–छपरौली खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 9.570 है0 में दिनांक 25.10.2023 से 24.10.2028 तक शर्तो के अधीन उपखनिज बालू का खनन पट्टा स्वीकृत है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 1190/2024 अजयवीर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 10.12.2024 को सुनवाई के उपरान्त आदेश पारित किया गया है जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

01– In this original application,the Applicant raises the grievance that the District Survey Report (DSR) for District Baghpat was prepared on 18.11.2017 valid for five years which expired on the expiry of the five years. Thereafter, there was a gap and no fresh DSR was prepared but the impugned auction notice was issued and action was taken in pursuance to the said auction notice though there was no valid DSR.

02. The State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttar Pradesh filed the counter affidavit on 28.11.2024 disclosing that the fresh DSR for District Baghpat was prepared and approved by SEIAA on 21.08.2024. Hence, after the expiry of the earlier DSR prepared in 2017, no DSR existed for District Baghpat till the fresh DSR was prepared on 21.08.2024. Hence, the auction notice, the lease and the subsequent action in the absence of the very DSR cannot be allowed to be continued.

03. Learned Counsel for Respondent No. 6 has sought four weeks' time to file the reply.

04. In the aforesaid circumstances,we direct stay of any further action in pursuance to the impugned auction notice till the next date of hearing.

05- The District Magistrate, Baghpat will take appropriate action to ensure compliance of this order.

06. List on 24.02.2025.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2024 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 213/ई–टेण्डर सह ई–ऑक्सन/विज्ञप्ति–बालू/2022–23 दिनांक 09 नवम्बर, 2022 के कम में समस्त कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है तथा जिलाधिकारी, बागपत को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

.....कमशः 2 पर

1431

अतः आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र छपरौली खादर में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या 1190/2024 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2024 के अनुपालन में उपरोक्त खनन क्षेत्र के सापेक्ष निर्गत खनन क्षेत्र नीलामी नोटिस दिनांक 02.02.2023 व तत्क्रम में निष्पादित लीज व खनन संक्रिया प्राधिकार पत्र आगामी सुनवाई तक के लिये स्थगित किये जाते है।

12.12.2024

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी,
बागपत।

अधिकृत प्रतिलिपि

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

दिनांकः दिसम्बर, 2024

पत्रांकः /ख0अनु0–बागपत/2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01–प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
02–निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ को कृपया संज्ञानार्थ व राजकीय हित में यथोचित निर्देशार्थ।
03–सदस्य सचिव, एसईआईएए, विनीत खण्ड–1, गौमती नगर, लखनऊ।
04–पुलिस अधीक्षक, बागपत।
05–अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)–प्रभारी अधिकारी खनन, बागपत।
06–उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, बडौत।
07–क्षेत्राधिकारी पुलिस, बडौत।
08–खान अधिकारी/खान निरीक्षक, बागपत को इस आशय से उपरोक्त की प्रति सम्बन्धित खनन पट्टाधारक को तामील कराये तथा मा0 एनजीटी के आदेशो का अनुपालन मौके पर कराये।
09–क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गा0बाद।
10– क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।
11– सम्बन्धित खनन क्षेत्रों की पत्रावली पर रखने हेतु।

आनन्दपाल
13/12/2024

आनन्दपाल S/O अनूपसिंह निवासी (बागपत) बदरखा 9460001222

जिलाधिकारी,
बागपत।

सेवा मे

श्रीमान अपर जिलाधिकारी (वि० रा०)

प्रभारी अधिकारी खनन जनपद बागपत (उ० प्र०)

महोदय

निवेदन यह है कि मै० प्रो० रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनी देवीपुरा-2 बुलंदशहर

आपको अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10/12/2024 को आवेदन संख्या 1190/2024 अजयवीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ओर अन्य मे माननीय द्वारा आदेश पारित किया गया कि बागपत जनपद मे जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अग्रीम आदेश तक अमान्य घोसीत करते हुए जनपद बागपत के बालू खनन सभी कार्यों को तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए है अतः महोदय उपरोक्त के क्रम मे मैंने अपना बालू खनन पट्टा खसरा संख्या 1/2 छपरोली खादर तहसील बड़ोत जिला बागपत मे बालू खनन पट्टा माननीय के अग्रीम आदेश तक बंद कर दिया है |

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त से अवगत होने की कृपा करे आपकी अति कृपा होगी

मै० रॉयल कन्सट्रेक्शन कं०

Dayachand

दिनांक .11-12-2024

प्रार्थी दयाचन्द बरगोती

प्रो० रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनी देवीपुरा 2

बुलंदशहर उत्तर प्रदेश

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

पत्रांकः ९०५ / खनन अनु0—बागपत / 2024 दिनांकः 12 दिसम्बर, 2024

मै0 रॉयल कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
देवीपुरा 2, बुलन्दशहर,
प्रो0 दयाचन्द बरगौती पुत्र श्री हरस्वरूप
निवासी म0नं0—5, नई ब्रेक पॉइंट,
भूर चौराहा के पास यमुनापुरम, बुलन्शहर।

आपके पक्ष में जनपद—बागपत की तहसील, बडौत के ग्राम—कोताना खादर के गाटा संख्या 706 क्षेत्रफल 12.245 है0 में दिनांक 12.01.2024 से 11.01.2029 तक शर्तो के अधीन उपखनिज बालू का खनन पट्टा स्वीकृत है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 1190 / 2024 अजयवीर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 10.12.2024 को सुनवाई के उपरान्त आदेश पारित किया गया है जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैः—

01— In this original application,the Applicant raises the grievance that the District Survey Report (DSR) for District Baghpat was prepared on 18.11.2017 valid for five years which expired on the expiry of the five years. Thereafter, there was a gap and no fresh DSR was prepared but the impugned auction notice was issued and action was taken in pursuance to the said auction notice though there was no valid DSR.

02. The State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttar Pradesh filed the counter affidavit on 28.11.2024 disclosing that the fresh DSR for District Baghpat was prepared and approved by SEIAA on 21.08.2024. Hence, after the expiry of the earlier DSR prepared in 2017, no DSR existed for District Baghpat till the fresh DSR was prepared on 21.08.2024. Hence, the auction notice, the lease and the subsequent action in the absence of the very DSR cannot be allowed to be continued.

03. Learned Counsel for Respondent No. 6 has sought four weeks' time to file the reply.

04. In the aforesaid circumstances,we direct stay of any further action in pursuance to the impugned auction notice till the next date of hearing.

05- The District Magistrate, Baghpat will take appropriate action to ensure compliance of this order.

06. List on 24.02.2025.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2024 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या 317 / ई—टेण्डर सह ई—ऑक्सन / विज्ञप्ति—बालू / 2022—23 दिनांक 02 जनवरी, 2023 के कम में समस्त कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है तथा जिलाधिकारी, बागपत को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

.....क्रमशः 2 पर

अतः आपके पक्ष में स्वीकृत खनन क्षेत्र कोताना खादर में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या 1190/2024 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2024 के अनुपालन में उपरोक्त खनन क्षेत्र के सापेक्ष निर्गत खनन क्षेत्र नीलामी नोटिस दिनांक 02.01.2023 व तत्क्रम में निष्पादित लीज व खनन संक्रिया प्राधिकार पत्र आगामी सुनवाई तक के लिये स्थगित किये जाते है।

12.12.2024

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी,
बागपत।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

पत्रांकः /ख0अनु0–बागपत/2024 दिनांकः दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01–प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

02–निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ को कृपया संज्ञानार्थ व राजकीय हित में यथोचित निर्देशार्थ।

03–सदस्य सचिव, एसईआईएए, विनीत खण्ड–1, गौमती नगर, लखनऊ।

04–पुलिस अधीक्षक, बागपत।

05–अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)–प्रभारी अधिकारी खनन, बागपत।

06–उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, बडौत।

07–क्षेत्राधिकारी पुलिस, बडौत।

08–खान अधिकारी/खान निरीक्षक, बागपत को इस आशय से उपरोक्त की प्रति सम्बन्धित खनन पट्टाधारक को तामील कराये तथा मा0 एनजीटी के आदेशो का अनुपालन मौके पर कराये।

09–क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गा0बाद।

10– क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।

11– सम्बन्धित खनन क्षेत्रों की पत्रावली पर रखने हेतु।

जिलाधिकारी,
बागपत।

सेवा मे

श्रीमान अपर जिलाधिकारी (वि० रा०)

प्रभारी अधिकारी खनन जनपद बागपत (उ० प्र०)

महोदय

निवेदन यह है कि मै० प्रो० रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनी देवीपुरा-2 बुलंदशहर

आपको अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10/12/2024 को आवेदन संख्या 1190/2024 अजयवीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ओर अन्य मे माननीय द्वारा आदेश पारित किया गया कि बागपत जनपद मे जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अग्रीम आदेश तक अमान्य घोसीत करते हुए जनपद बागपत के बालू खनन सभी कार्यों को तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए है अतः महोदय उपरोक्त के क्रम मे मैंने अपना बालू खनन पट्टा खसरा संख्या 706 कुताना खादर तहसील बड़ोत जिला बागपत मे बालू खनन पट्टा माननीय के अग्रीम आदेश तक बंद कर दिया है |

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त से अवगत होने की कृपा करे आपकी अति कृपा होगी

मै० रॉयल कन्सट्रेक्शन कं०
Dayachnd
प्रोपराइटर

दिनांक .11-12-2024

प्रार्थी दयाचन्द बरगोती

प्रो० रॉयल कन्स्ट्रक्शन कंपनी देवीपुरा 2

बुलंदशहर उत्तर प्रदेश